रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1975/आषाढ़ 28, 1897

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975/ASADHA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 872—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) ये नियम अखिल भारतीय (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1975, कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खण्ड (ग) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(ग) 'सरकार' से अभिप्रेत है—

(i) राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे किसी सदस्य के बारे में या जो किसी ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि-निकाय में, चाहे निगमित हो या न हो, जो उस राज्य की सरकार के पूर्णतः या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उसके द्वारा नियंत्रित है या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, उस राज्य की सरकार;

(ii) किसी अन्य मामले में केन्द्रीय सरकार;

3. उक्त नियम के नियम 3 में,—

(i) "अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान निलंबन"—शीर्षक के स्थान पर "निलंबन" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जायगा;

(ii) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

(i) यदि किसी मामले में, परिस्थितियों को और जहां आरोप के ब्यौरे बनाए गए है, वहां आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, किसी राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जिस सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां अपेक्षित है या लंबित है, सेवा के उस सदस्य को निलंबनाधीन रखना आवश्यक या वांछनीय है, तो वह सरकार, अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी होने और मामले में अंतिम आदेश पारित होने पर्यन्त—

(क) यदि सेवा का सदस्य उस सरकार के अधीन सेवा कर रहा है, तो उसे निलंबित करने का आदेश पारित कर सकेगी, या

7 GI/75—1

(ख) यदि सेवा का सदस्य अन्य सरकार के अधीन सेवा कर रहा है तो, उस सरकार से उसे निलम्बित करने का निवेदन कर सकेगी

परन्तु ऐसे मामलों में जहां,—

(i) दो राज्य सरकारों में मतभेद हो, वहां मामला केन्द्रीय सरकार को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा,

(ii) किसी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में मतभेद हो, वहां केन्द्रीय सरकार की राय अभिभावी होगी :

परन्तु यह और कि जहां सेवा के किसी ऐसे सदस्य को निलंबनाधीन रखने का आदेश राज्य सरकार करती है, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां अपेक्षित है, वहां ऐसा आदेश तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उस तारीख से, जिस तारीख से उस सदस्य को निलंबनाधीन रखा गया है पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व या और ऐसी अधिक अवधि की समाप्ति के पूर्व जो पैंतालिस दिन से अधिक नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखबद्ध कारणों के लिए विनिर्दिष्ट की जा सकती है या तो अनुशासनिक कार्यवाहियां उसके विरुद्ध आरंभ की जाती है या केन्द्रीय सरकार द्वारा निलंबन के आदेश की पुष्टि की जाती है।

(1क) यदि, यथास्थिति, किसी राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सेवा के किसी सदस्य ने अपने को राज्य की सुरक्षा के हितों के विरुद्ध कार्यवाहियों में लगा रखा है, तो वह सरकार उस मामले में अंतिम आदेश पारित करने तक,

(क) यदि सेवा का सदस्य उस सरकार के अधीन सेवा कर रहा है तो उसे निलंबनाधीन रखने का आदेश पारित कर सकेगी, या

(ख) यदि सेवा का सदस्य अन्य सरकार के अधीन सेवा कर रहा है, तो उस सरकार को उसे निलंबित करने का निवेदन कर सकेगी :

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां—

(i) दो राज्य सरकारों में मतभेद हो, वहां मामला केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ii) किसी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में मतभेद हो, वहां केन्द्रीय सरकार की राय अभिभावी होगी;

(iii) उप-नियम (3) में—

(क) "जिसके अधीन वह सेवा कर रहा है" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "सरकारी सेवक के रूप में उसके पद" शब्दों के स्थान पर "सेवा के किसी सदस्य के रूप में उसके पद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(6क) जहां इस नियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा निलंबन का आदेश दिया गया है या दिया गया समझा गया है, वहां मामले की ब्यौरेवार रिपोर्ट साधारणत: उस तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी जिस तारीख को, यथास्थिति, सेवा के सदस्य को निलंबित किया गया है या उसे लंबित किया गया समझा है।"

4. उक्त नियम के नियम 5 में,—

(i) उप-नियम (1) में, प्रारंभिक भाग में "अधिवार्षिता पर उसकी निवृत्ति" शब्दों के स्थान पर "अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के अधीन उसकी निवृत्ति" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) में, खण्ड (ख) में, "भत्ता" शब्द के स्थान पर "भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा।

5. उक्त नियम के नियम 7 में, उप-नियम (1) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(1) जहां सेवा के किसी सदस्य ने कोई कार्य या लोप किया है जो उसे नियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति का दायी बनाता है, वहां—

(क) यदि ऐसा कार्य या लोप सेवा पर उसकी नियुक्ति के पूर्व किया गया था—

(i) यदि वह उस राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्य कर रहा है या किसी कंपनी, संगम या व्यष्टि-निकाय में, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो उस राज्य की सरकार के पूर्णत: या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उसके द्वारा नियंत्रित है या उस राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है, तो उस राज्य की सरकार, या

(ii) किसी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार, हो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम होगी और उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगी, जैसा वह ठीक समझे;

(ख) यदि ऐसा कार्य या लोप सेवा पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् तब किया गया था—

(i) जब वह किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहा था या किसी कंपनी, संगम या व्यष्टिनिकाय, चाहे निगमित हो या न हो, जो उस राज्य की सरकार के पूर्णत: या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उसके द्वारा नियंत्रित है या उस राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है, तो उस राज्य की सरकार, या

(ii) जब वह प्रशिक्षण पर था, तब ऐसे प्रशिक्षण के लिए जिस सरकार ने उसे प्रतिनियुक्त किया था, वह सरकार, या

(iii) जब वह छुट्टी पर था, तब जिसने उसको छुट्टी मंजूर की थी; वह सरकार, या

(iv) जब वह निलंबनाधीन था तब जिसने उसे निलंबनाधीन रखा था या निलंबनाधीन रखा गया समझा गया था, वह सरकार, या

(v) यदि ऐसा कार्य या लोप छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति है, तो जिसने छुट्टी मंजूर की थी वह सरकार, या

(vi) जब वह छुट्टी पर से अन्यथा कर्तव्य से अनुपस्थित था, तब यदि ऐसा कार्य या लोप कर्तव्य से ऐसी अनुपस्थिति के ठीक पूर्व किया गया होता तो, जो सरकार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम होती, वह सरकार, या

(vii) किसी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार हो, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम होगी, और, उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगी, जैसा वह ठीक समझे और, यथास्थिति, वह सरकार, कम्पनी, संगम, व्यष्टि-निकाय या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अधीन वह ऐसे कार्यवाहियां की संस्थिति के समय पर सेवा कर रहा है, ऐसी कार्यवाहियां संस्थित करने वाली तथा चलाने वाली सरकार को सभी समुचित सुविधाएं देने के लिए आबद्ध होगा।

स्पष्टीकरण उपनियम (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए जहां सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य की सरकार है, उस राज्य के पुनर्गठन की दशा में, वह सरकार, जिसके काडर पर ऐसे पुनर्गठन के पश्चात् उसे रखा गया है, अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 6 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी। (1-क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में, अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए सक्षम सरकार के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिये सक्षम सरकार के रूप में इस प्रकार विनिश्चित सरकार ही (जिसमें केन्द्रीय सरकार भी आ सकती है) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने, तथा उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 6 में विनिर्दिष्ट ऐसी शास्ति उस पर अधिरोपित करने के लिये, जैसा वह ठीक समझे, सक्षम होगी, और, यथास्थिति, वह सरकार कम्पनी, संगम, व्यष्टि-निकाय या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अधीन ऐसी कार्यवाहियां संस्थित करने वाली तथा चलाने वाली सरकार को सभी समुचित सुविधाएं देने के लिए आबद्ध होगा।

6 उक्त नियम के अंग्रेजी पाठ के नियम 8 में --

(1) उप-नियम (7) में, खण्ड (iii) में 'स्टेटमेंट' शब्द के स्थान पर "स्टेटमेंटस" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(2) उप-नियम (11) में 'डिज' शब्द के स्थान पर 'दोज' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7 उक्त नियम के नियम 9 के उप-नियम (4) में, खण्ड (1) में उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् --

"(क) जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट तथा आरोप के प्रत्येक ब्यौरे पर अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों के कथन और उसके साथ ही जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अनुशासनिक प्राधिकारी की असहमति, यदि कोई हो, के लिये संक्षिप्त कारणों की एक एक प्रति सेवा के सदस्य को देगा,

8 उक्त नियम के नियम 10 के उप-नियम (1) में, खण्ड (ख) में "ऐसे हर एक मामले में, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, शब्दों के स्थान पर" ऐसे हर एक मामले में जिसमें तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए या किसी अवधि के लिए संचयी रूप से वेतन वृद्धियां रोक लेना या जिससे कि ऐसे सदैय पेंशन की मात्रा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना प्रस्तावित है या जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9 उक्त नियम के नियम 16 में, --

(1) '(1)' कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा,

(2) खण्ड (iii) में, उप-खण्ड (क) में "पेंशन' शब्द का लोप किया जाएगा,

(3) खण्ड (4) में, उप-खण्ड (क) का लोप किया जायगा,

(4) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"स्पष्टीकरण --इस नियम में, सेवा के सदस्य' पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो अब सेवा का सदस्य नहीं रहा है।;

10 उक्त नियम के अंग्रेजी पाठ के नियम 17 में, प्रारंभिक भाग में "अग्रीवर्ड" शब्द के स्थान पर "अग्रीव्ड' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11 उक्त नियम के नियम 19 में,--

(i) उप-नियम (2) में 'मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, वह विभाग या मंत्रालय, जो उस अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'

(ii) उप-नियम (4) में "नियम 22" शब्द और अंकों के स्थान पर "नियम 21" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12 उक्त नियम के नियम 19 के उप-नियम (1) में, परन्तुक में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"(i) किसी शास्ति को पुष्ट करने, बढ़ाने, कम करने या अपास्त करने का आदेश पारित करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा, ।

13 उक्त नियम के नियम 21 के उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् --

"(ग) यदि वह नियम 17 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं की गई है और विलम्ब के लिए कोई युक्तियुक्त हेतुक दर्शित नहीं किया गया है, या"।

14 उक्त नियम के नियम 23 में "नियम 22" शब्द और अंकों के स्थान पर, "नियम 21" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

15 उक्त नियम के नियम 24 में, उप-नियम (1) में "वहां जहां परामर्श करना आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके" शब्दों का लोप किया जायगा।

16 उक्त नियम के नियम 25 में,--

(1) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"स्पष्टीकरण--इस उपनियम में, सेवा के सदस्य' पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सेवा का सदस्य नहीं रहा है",

(2) उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5क) यदि अभ्यावेदन, नियम 6 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध है, तो ऐसे किसी आदेश का पुनरीक्षण आयोग के साथ परामर्श के सिवाय नहीं किया जायगा।"

[सं० 6/9/72-अ०भा०से० (3)]

ए० बनर्जी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 5th July, 1975

G.S.R. 872.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (c) and the Explanation thereto, the following clause shall be substituted, namely :—

"(C) 'Government' means —

(i) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of a State, or who is deputed for service in any company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government of a State, or in a local authority set up by an Act of the Legislature of State, the Government of that State;

(ii) in any other case, the Central Government;"

3. In rule 3 of the said rules—

(i) for the heading "Suspension during disciplinary proceedings.—" the heading "Suspension.—" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) If, having regard to the circumstances in any case and, where articles of charge have been drawn up, the nature of the charges, the Government of a State or the Central Government, as the case may be, is satisfied that it is necessary or desirable to place under suspension a member of the Service, against whom disciplinary proceedings are contemplated or are pending, that Government may—

(a) if the member of the Service is serving under that Government, pass an order placing him under suspension, or

(b) if the member of the Service is serving under another Government, request that Government to place him under suspension,

pending the conclusion of the disciplinary proceedings and the passing of the final order in the case.

Provided that, in cases, where there is a difference of opinion, —

(i) between two State Governments, the matter shall be referred to the Central Government for its decision

(ii) between a state Government and the Central Government, the opinion of the Central Government shall prevail :

Provided further that, where a State Government passes an order placing under suspension on a member of the Service against whom disciplinary proceedings are contemplated, such an order shall not be valid unless, before the expiry of a period of forty-five days from the date from which the member is placed under suspension, or such further period not exceeding forty-five days as may be specified by the Central Government for reasons to be recorded in writing, either disciplinary proceedings are initiated against him or the order of suspension is confirmed by the Central Government.

(1A) If the Government of a State or the Central Government, as the case may be, is of the opinion that a member of the Service has engaged himself in activities prejudicial to the interests of the security of the State, that Government may—

(a) if the member of the Service is serving under that Government, pass an order placing him under suspension, or

(b) if the member of the Service is serving under another Government request that Government to place him under suspension,

till the passing of the final order in the case:

Provided that, in cases, where there is a difference of opinion—

(i) between two State Governments, the matter shall be referred to the Central Government for its decision,

(ii) between a State Government and the Central Government, the opinion of the Central Government shall prevail,

(iii) in sub-rule (3)—

(a) the words "uner which he is serving" shall be omitted;

(b) for the words "position as a Government Servant" the words "position as a member of the Service" shall be substituted;

(iv) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6A) where an order of suspension is made, or deemed to have been made, by the Government of a State under this rule, detailed report of the case shall be forwarded to the Central Government, ordinary within a period of fifteen days of the date on which the member of the Service is suspended or is deemed to have been suspended, as the case may be."

4. In rule 5 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), in the opening sentence for the words "retirement on superannuation", the words, brackets and figures "retirement under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958," shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), for the word, "allowance", the word "allowances" shall be substituted.

5. In rule 7 of the said rules, for sub-rule (1) and the Explanation thereto, the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Where a member of the Service has committed any act or omission which renders him liable to any penalty specified in rule 6—

(a) if such act or omission was committed before his appointment to the Service—

(i) the State Government, if he is serving in connection with the affairs of that State, or is deputed for service in any company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or

controlled by the Government of that State or in a local authority set up by an Act of the Legislature of that State, or

(ii) the Central Government, in any other case, shall alone be competent to institute disciplinary proceedings against him and, subject to the provisions of sub-rule (2), to impose on him such penalty specified in rule 6 as it thinks fit;

(b) If such act or omission was committed after his appointment to the Service—

(i) while he was serving in connection with the affairs of a State, or is deputed for service under any company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government of a State, or in a local authority set up by an Act or the Legislature of that State, the Government of that State, or

(ii) while he was on training, the Government which deputed him for such training; or

(iii) while he was on leave, the Government which sanctioned him the leave; or

(iv) while he was under suspension, the Government which placed him or is deemed to have placed him under suspension; or

(v) if such act or omission is wilful absence from duty after the expiry of leave, the Government which sanctioned the leave; or

(vi) while he was absent from duty otherwise than on leave, the Government which would have been competent to institute disciplinary proceedings against him, had such act or omission been committeed immediately before such absence from duty; or

(vii) the Central Government, in any other case,

shall alone be competent to institute disciplinary proceedings against him and, subject to provisions of sub-rule (2), to impose on him such penalty specified in rule 6 as it thinks fit, and the Government, company association, body of individuals or local authority, as the case may be, under whom he is serving at the time of institution of such proceedings, shall be bound of render all reasonable facilities to the Government instituting and conducting such proceedings.

Explanation.— For the purposes of clause (b) of sub-rule (7), where the Government of a State is the authority competent to institute disciplinary proceedings against a member of the Service, in the event of a reorganisation of the State, the Government on whose cadre he is borne after such reorganisation shall be the authority competent to institute disciplinary proceedings and, subject to the provisions of sub-rule (2), to impose on him any penalty specified in rule 6.

(1-A) Notwithstanding anything continued in sub-rule (1), if, in any case, a question arises as to the Government competent to institute disciplinary proceedings, it shall be decided by the Central Government and the Government so decided by the Central Government, as being competent institute disciplinary proceedings (which may include the Central Government also), shall alone be competent to institute disciplinary proceedings against him and, subject to the provision of sub-rule (2), to impose on him such penalty specified in rule 6 as it thinks fit and the Government company association, body of individuals, or the local authority, as the case may be, under whom he is serving at the time of the institution of such proceedings shall be bound to render all reasonable facilities to the Government instituting and conducting such proceedings".

6. In rule 8 of the said rules —

(i) in sub-rule (7), in clause (iii), for the word "statement", the word "statements" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (11), for the word "these" the word "those" shall be substituted.

7. In sub-rule (4) of rule 9 of the said rules, in clause (i), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(a) furnish, to the member of the Service a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority on each article of charge together with brief reasons for the disagreement of the disciplinary authority, if any, with the findings of the inquiring authority;"

8. In sub-rule (1) of rule 10 of the said rules, in clause (b), for the words, "in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary." the words, in every case, in which it is proposed to withhold increments of pay for a period exceeding three years, or with cumulative effect for any period, or so as to adversely affect the amount of pension payable to him, or in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary" shall be substituted.

9. In rue 16 of the said rules,—

(i) the brackets and figure "(1)" shall be omitted;

(ii) in clause (iii), in sub-clause (a), the word "pension" shall be omitted;

(iii) in clause (iv), sub-clause (c) shall be omitted;

(iv) for the Explanation the following Explanation shall be substitute, namely :—

"Explanation:—In this rule, the expression 'member of the Service' includes a person who has ceased to be a member of the service.";

10. In rule 17 of the said rules, in the opening portion, for the word "appeared" the word "appealed" shall be substituted.

11. In rule 18 of the said rules.—

(i) in sub-rule (2), for the words "Cabinet Secretariat, Department of Personnel", the words "Department or the Ministry, as the case may be dealing with the All-India Service concerned" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4) for the word and figures "rule 22" "the word and figures "rule 21" shall be substituted.

12. In sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, in the proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) the Commission shall be consulted before an order confirming, enhancing, reducing or setting aside a penalty is passed;"

13. In sub-rule (1) of rule 21 of the said rules, for clause (c), the following clause shall be substituted namely :—

"(c) it is not preferred within the period specified in rule 17 and no reasonable cause is shown for the delay, or"

14. In rule 23 of the said rules, for the word and figures "rule 22", the word and figures "rule 21" shall be substituted.

15. In rule 24 of the said rules, in sub-rule (1), the words "after consultation with the Commission where such consultation is necessary", shall be omitted.

16. In rule 25 of the said rules.—

(i) in sub-rule (1), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation:—In this sub-rule, the expression 'member of the Service' includes a person who has ceased to be a member of the service.";

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5A) If the memorial is against an order imposing any of the penalties specified in rule 6, no such order shall be revised except after consultation with the Commission."

[No. 6/9/72-AIS(III)]

A. BANARJEE, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 29 जून, 1975

सा०का०नि० 873/366(अ).—भारत के राष्ट्रपति का तारीख 29 जून, 1975 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

आदेश

जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अपनी 25 जून, 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा को, उस राज्य की सरकार की सहमति से, इसके द्वारा उस राज्य को लागू करते हैं।

[सं० 2-16013/1/75-एस० एंड पी०(डी०2)]

एस० एल० खुराना सचिव

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1975

सा० का. नि. 874/394.—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 तथा उसे इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत रक्षा नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 1 का संशोधन.**—भारत रक्षा नियम, 1971 (जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 में उप नियम (1) में, "भारत रक्षा नियम" शब्दों के स्थान पर "भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम" शब्द रखे जाएंगे।

3. **नए नियम 1क का अंतःस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"1क—नियमों का आंतरिक सुरक्षा के संबंध में भी लागू होना.—भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1975 के इन नियमों के उपबंध आंतरिक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए, वहां तक जहां तक कि वे हो सकता है, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वह अधिनियम के अन्य प्रयोजनों के लिए लागू है तथा तदनुसार उन उपबन्धों का अर्थ, जहां आवश्यक हो, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उनमें आंतरिक सुरक्षा के प्रति निर्देश भी सम्मिलित हैं।"।

4. **नियम 2 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 2 में, खण्ड (1) में, "भारत रक्षा अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "भारत रक्षा और अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे।

5. **नियम 33 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 33 के उप-नियम (1) में,—

(1) खण्ड (क) में, "नागरिक सुरक्षा" शब्दों के पश्चात् "आंतरिक सुरक्षा" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(2) खण्ड (ख) में, "उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा" शब्दों के पश्चात् "आंतरिक सुरक्षा, लोक रक्षा, लोक शान्ति या सामुदायिक जीवन के लिए प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 2/16012/3/75-एस एण्ड पी (डी-2]

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1975

सा. का. नि. 875/398(ई).—भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 48 में उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1 क) जहां उप-नियम (1) के अधीन आदेश करने वाली सरकार ऐसे आदेश के प्रयोजन के लिए उस आदेश में एक से अधिक प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझती है, वहां वह उस आदेश में यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि उनमें से एक प्रधान प्राधिकारी होगा और अन्य प्राधिकारी, आदेश के अनुसरण में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय, ऐसे सिद्धान्तों और निर्देशों का अनुसरण करेंगे जिनके इस निमित्त अनुसरण की अपेक्षा प्रधान प्राधिकारी या इस निमित्त प्रधान अधिकारी द्वारा प्राधिकृत उस सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, समय-समय पर की जाए।"

[सं. 2/16012/3/75-एस. एंड पी. (डी. 2)]

सी. बी. नरसिंहम, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1975

सा० का० नि० 876.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में, सहायक निदेशक के पद से संबंधित मद 1 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक	3	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रु०	चयन	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) या समाजशास्त्र में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । या एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में कम से कम 2 वर्ष सांख्यिकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने के पश्चात् प्राप्त किया हुआ डिप्लोमा । (ii) अनुप्रयोगिक सांख्यिकी या ऊपर वर्णित विषयों में से किसी एक में लगभग 3 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव । या अर्थशास्त्र और सामाजिक समस्याओं पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण या अनुसंधान अध्ययन के निदेशन कार्य का लगभग 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।) वांछनीय ऊपर वर्णित विषयों में से किसी एक में डाक्टरेट ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति ऐसे ज्येष्ठ अन्वेषक की जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। स्थानान्तरण ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सदृश्य पद धारण कर रहे हैं। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से जो सदृश्य पद धारण कर रहे हैं या जिनकी 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो, और जिनके पास सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संयुक्त सचिव सदस्य (प्लान, वित्त)	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

[सं एफ० 24/3/64-ई एस सी/ई-1 (ए)/67-75 (खण्ड 2)]

आर० एल० सूद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 14th May, 1975

G.S.R. 876—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Assistant Director, Senior Investigator and Junior Investigator Recruitment Rules, 1970, namely :—

(1) These Rules may be called the Ministry of Finance (Department of Expenditure) (Assistant Director, Senior Investigator, and Junior Investigator) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Finance (Department of Expenditure) (Assistant Director, Senior Investigator and Junior Investigator) Recruitment Rules, 1970, for item relating to the post of "Assistant Director" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director	3	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Selection	35 years (Relaxable for Government servants.)	Essential : (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics or Economics or Commerce (with Statistics) or Sociology of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics or Statistics as a subject, plus a diploma obtained after at least 2 years' Postgraduate training in Statistics at a recognised Institution or University. (ii) 3 years' research experience in applied Statistics or any of the subjects mentioned above. OR 3 years' practical experience in directing large scale surveys or research studies on Economics and Social problems. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : Doctorate in any of the subjects mentioned above.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 Years	50% by promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. 50% by direct recruitment failing which by transfer or transfer on deputation.	Promotion : Senior Investigator with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer : Officers holding analogous posts under the Central Government or State Governments. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments holding analogous posts or with at least 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruits. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Member, Union Public Service Commission, Chairman Joint Secretary (Personnel) Member Joint Secretary (Plan Finance) Member	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 24/3/64-E&C/E.I(A)/67-75(Volume II)]

R. L. SUD, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 877.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय, उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1975 है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में परिशिष्ट I(II) नमूना प्ररूप में, प्ररूप सी० टी० 2 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवलि सं० 87) में, मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"(4) उक्त अनुज्ञप्ति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद .....के अन्तर्गत आने वाली..... (उत्पाद का नाम) को.....के विनिर्माण के लिए, अधिसूचना सं० ....तारीख.....के अन्तर्गत बिना शुल्क दिए/.....शुल्क की रियायती दर पर अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है ।(शुल्क की रियायती दर का ब्यौरा दिया जाएगा)"

[सं० 160/75-टी० ई०/फा० सं० 212/6/74-सी एक्स-6]

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 19th July, 1975

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 877.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (9th Amendment) Rules, 1975.

In the Central Excise Rules, 1944, in Appendix I (II) Specimen Forms, in Form C. T. 2 (Central Excise Series No. 87), after item (3) the following shall be inserted, namely :—

"(4) the said licence authorises to obtain.....(name of product) falling under Tariff Item.....of Central Excise tariff at nil/concessional rate of duty to be of.....(details of the concessional rate of duty to be furnished) under notification No..... .....dated.....for the manufacture of .....".

[No. 160/75/F. No. 212/6/74-CX 6]

सा० का० नि० 878.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1975 है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 छ के उपनियम (1) में,—

(i) "जहां कलक्टर द्वारा ऐसा अनुज्ञात किया गया हो" शब्दों के स्थान पर "जहां कलक्टर द्वारा, चाहे साधारणत: या बैंक हड़ताल के कारण उद्भूत होने वाली किसी स्थिति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसा अनुज्ञात किया गया हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "जिससे कि ऐसे चालू खाते में, किसी समय हटाए जाने के लिए आशयित माल पर देय शुल्क की पूर्ति के लिए पर्याप्त अतिशेष रखा जाए" शब्दों के स्थान पर "जिससे कि ऐसे चालू खाते में किसी समय हटाए जाने के लिए आशयित माल पर देय शुल्क की पूर्ति के लिए पर्याप्त अतिशेष रखा जाए । (जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा, कलक्टर के मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे गए चैक)

की, उस चैक के भुन जाने, तक रकम भी सम्मिलित" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (iv) के पश्चात् परन्तुक में निम्नलिखित खंड अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(v) यदि शुल्क के संदाय के लिए निर्धारिती द्वारा भेजा गया कोई चेक प्रस्तुत किए जाने पर नहीं भुनाता है, तो किसी अन्य ऐसी कार्यवाई के अतिरिक्त जो इस निमित्त निर्धारिती के विरुद्ध की जा सकेगी, ऐसे चेक के आधार पर चालू खाते में जमा की गई रकम को ऐसे चालू खाते के अतिशेष से तुरन्त कटौती की जाएगी, तथा ऐसी जमा रकम के आधार पर किया गया कोई समाशोधन, तब तक माल पर देय शुल्क के संदाय के बिना किया गया समाशोधन समझा जाएगा, जब तक कि उस चेक की जो प्रस्तुत किए जाने पर भुना नहीं है, रकम को अपर्जित करके इन समाशोधनों की पूर्ति के लिए सभी समयों पर पर्याप्त अतिशेष न रहा हो।"

[सं० 163/75-सी०ई०/फा०सं० 204/12/72-सी०एक्स०-6]

एस० डी० मोहिले, अवर सचिव

सा० का० नि० 879.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत सम्मिलित 'सिल्लियां' और बॉटम स्टूल' को, निम्नलिखित शर्तों पर, छूट देती है:—

(क) सिल्लियां या बॉटम स्टूल उत्पादन के उसी कारखाने में, जिसमें विनिर्माण किया गया था, उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं 26 के अन्तर्गत सम्मिलित इस्पात सिल्लियों के विनिर्माण के दौरान उपयोग के लिए आशयित है; और

(ख) सिल्लियां या बॉटम स्टूल उक्त कारखाने में, ऐसे उपयोग के पश्चात गला दिया जाता है।

[सं० 162/75-सी ई०/फा० स० 137/7/72-सी एक्स 4]

आर० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव

G.S.R. 878.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excisio Rules, 1944, namely :—

1. These Rules may be called the Central Excise (Tenth Amendment) Rules, 1975.

2. In sub-rule (1) of rule 173G of the Central Excise Rules, 1944,

(i) for the words "where so permitted by the Collector," the words "where so permiitted by the Collector, whether generally or for the specific duration of a situation arising out of a bank strike and" shall be substituted;

(ii) for the words "in such account-current sufficient to cover the duty" the words and brackets "in such account-current (including the amount of the cheque sent to the Chief Accounts Officer of the Collector, by registered post or by a messenger, pending encashment of the cheque) sufficient to cover the duty" shall be substituted;

(iii) in the proviso, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

"(v) if any cheque sent by an assessee towards payment of duty is not encashed on presentation, apart from any other action that may be taken against the assessee in this behalf, the credit taken in the account-current on the strength of such a cheque will be forthwith deducted from the balance in such account-current, and any clearances taken on the strength of such a credit will be deemed to be clearances made without payment of duty due on the goods, unless there was adequate balance, at all times, to cover these clearances even after excluding the amount of the cheque which has not been encashed on presentation".

[Notification No. 163/75-CE/F. No. 204/12/72-CX-6]

S. D. MOHILE, Under Secy.

G.S.R. 879.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts 'ingot moulds' and 'bottom stools', falling under Item No. 25 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), subject to the conditions that—

(a) the ingot mould or bottom stool is intended for use during the manufacture of steel ingots, falling under Item No. 26 of the said First Schedule, in the factory of production in which such ingot mould or bottom stool had been • manufactured; and

(b) the ingot mould or bottom stool is melted, after such use, in the said factory.

[No. 162/75-CE/F. No. 137/7/72-CX-4]

R. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th July, 1975

CENTRAL ELECTRICITY BOARD

G.S.R. 880.—In the English version of Central Electricity Board's notification published as G.S.R. 289 on pages 764 and 765 of the Gazette of India, Part II-Section 3, Sub-section (i) dated the 1st March/Phalguna 10, 1896:

(1) "sub-rule 5 of rule 67" published vide first line of, item 2 (ix) shall be read as "Sub-rule (5) of rule 67"; and

(2) The third line of item 2 (ix) (b) shall be read as "resistance to earth on a dry day during dry season" instead of "resistance to earth on a dry during dry season".

[No. CM-305/38/75]

B. G. RUDRAPPA, Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th July, 1975

G.S.R. 881.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 27 (E) dated the 1st February, 1975, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India extra-ordinary dated the 1st February, 1975,at page 147, in line 19, for "dated" read "date".

[F. No. PGL-72/74-I]

G.S.R. 882.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 28(E) dated the 1st February, 1975, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India extra-ordinary, dated the 1st February, 1975, at page 149-

(a) in line 16, for "Act." read "Act";

(b) in line 28, for "quantum" read "quorum"

(c) in line 43, for "Servant." read "Servant.-"

[F. No. PGL-72/74-II]

G.S.R. 883.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 29(E) , dated the 1st February, 1975, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India extra-ordinary dated the 1st February, 1975, at page 151-

(a) in line 2, for "Government herebye" read "Government hereby"

(b) in line 8, for "regulations" read "regulations",

(c) in line 13, for "n sub-Section" read "in Sub-Section",

(d) in line 32 of form for "aally" read Tally"

[F. No. PGL-72/74-III]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 884—भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 1 फरवरी, 1975 में प्रकाशित भारत सरकार नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 32-(ई) तारीख 1 फरवरी, 1975 में—

(क) पृष्ठ 162 पर प्ररूप के भाग 1 में पंक्ति 9 में "अज्ञात अन्तर्वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर "अज्ञात अन्तर्वस्तुएं निम्नलिखित दशा में" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० ए-पी०जी०एल०-72/74-4]

बी० द्वारकानाथ, अवर सचिव

G.S.R. 884.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 32(E), dated the 1st February, 1975, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India extra-ordinary dated the 1st February, 1975.

(a) at page 162 in part I of the form in line 9, for "State" read "State of";

(b) at page 163, in part III of the form—

(i) for "19."read "19.";

(ii) for "npt" read "not".

[F. No. PGL-72/74-IV]

G.S.R. 885.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 35(E) dated the 1st February, 1975, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India extra-ordinary, dated the 1st February, 1975, at page 172, in line 16,—

(i) for "vnnotvtion" read "annotations".

(ii) for "remarks" read "remarks".

[F. No. APGL-72/74-V]

V. DWARAKAVAS, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 886.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 12 जनवरी, 1974 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० तारीख 18 दिसम्बर, 1973 के साथ प्रकाशित विस्तार निदेशालय, विस्तार अधिकारी (फार्म महिला प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1973 में पृष्ठ 86 पर, अंग्रेजी पंक्ति में '1973' के स्थान पर '1974' पढ़ें।

[संख्या फा० 29-30/72-सी०ए० 4]

सी०ना० सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd July, 1975

G.S.R. 886.—In the Directorate of Extension (Vistar Nideshalaya) Extension officer (Farm Women's Training), Recruitment Rules, 1973, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) No. G.S.R. 27 dated the 18th December, 1973, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th January, 1974, at page 87, in line 10, for "1973" read "1974".

[F. No. 29-30/72-C.A. IV]

S. N. SINHA, Under Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

सा० का० नि० 887 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में सहायक निदेशक (भारत सेवक समाज, जांच आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन सेल) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम ग्रामीण विकास सहायक निदेशक (भारत सेवक समाज जांच आयोग का कार्यान्वयन सेल) भर्ती नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं —वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक, (भारत सेवक समाज—जांच आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन सेल)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1, राजपत्रित	700-40-900-दो० रो०-40-1100-50-1300 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के सदृश्य पद धारण करने वाले या 350-900 (पुनरीक्षण पूर्व) या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष सेवा करने वाले अधिकारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि हो और वाणिज्यिक लेखा अधिमानत लोकऋण और लेखा प्रशिक्षण का पर्याप्त ज्ञान हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[सं०ए०-12018/3/71-ई 2]

आर० सी० दुबे, अवर सचिव

Department of Rural Development

New Delhi the 31st May, 1975

G.S.R. 887.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Implementation Cell on Bharat Sevak Samaj, Commission of Inquiry Report) in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Rural Development), namely :—

1. Short title and commencement :—(i) These rules may be called the Department of Rural Development, Assistant Director (Implementation Cell on Bharat Sevak Samaj, Commission of Inquiry Report) Rules, 1975.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification : No person :—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contract a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible unde the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—

Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes/ the schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules for the Post of Assistant Director (Implementation Cell on B.S.S. Commission of Inquiry report). Department of Rural Development in the Ministry of Agriculture and Irrigation

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Implementation Cell on Bharat Sevak Samaj, Commission of Inquiry Report).	One	General Central Service, Class I, Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers of the Central Government holding analogous posts or with 3 years service in the scale of Rs. 350-900 (pre-revised) or equivalent and possessing a degree of a recognised University and having adequate Knowledge of Commercial Accounts, preferably with Cash and Accounts training (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. A 12018/3/71-E II]

R. C. DUBE, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 8 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 888.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि विमानन निदेशालय (मोटर परिवहन चालक) भर्ती नियम, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमो का नाम कृषि विमानन निदेशालय (मोटर परिवहन चालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 कृषि विमानन निदेशालय (मोटर परिवहन चालक) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची मे, स्तम्भ 8 मे विद्यमान प्रविष्टि "हा", आयु के सिवाय के स्थान पर प्रविष्टि "नही" रखी जाएगी ।

[संख्या 25-1/73-पी०पी०एस]

Department of Agriculture

New Delhi, the 8th July, 1975

G.S.R. 888.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Agricultural Aviation (Motor Transport Driver) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Agricultural Aviation (Motor Transport Driver) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Agricultural Aviation (Motor Transport Driver) Recruitment Rules, 1974, in column 8, for the entry "Yes, except age", the entry "No" shall be substituted.

[No. 25-1/73-PPS]

सा०का०नि० 889.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि विमानन निदेशालय मे वायुयान मेकेनिक के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमो का नाम कृषि विमानन निदेशालय (वायुयान मेकेनिक) भर्ती नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदो की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे संबन्धित अन्य बाते वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 मे 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताए:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति.—इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि विमानन निदेशालय (कृषि विभाग) मे वायुयान मेकेनिक के पद के लिए भर्ती नियम ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वायुयान मैकेनिक	14	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	175-6-205-7-240 दo रो०-8-280 रुपये (पुराना वेतनमान)	चयन	30 वर्ष	आवश्यक : (क) मैट्रिक या समतुल्य । (ख) किसी मान्यता प्राप्त विमानन संगठन मे मेकेनिक के रूप मे 3 वर्ष का विमानन सबन्धी अनुभव । नोट—(शिक्षुता-अवधि को अनुभव में नही गिना जायेगा) वांछनीय : (क) विज्ञान विषयो सहित मैट्रिक । (ख) प्रवर्ग 'क' या 'ग' में ए एम ई की अनुज्ञप्ति ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नही शैक्षिक अर्हताएं हा	दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वायुयान हैलीकाप्टर क्लीनर जिसकी उस ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा हो।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति।	लागू नही होता

[सं० 2-43/72 पी०पी०एस०]

के० बालकृष्णन, अवर सचिव

G.S.R. 889.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Aircraft Mechanic in the Directorate of Agricultural Aviation namely :——

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Directorate of Agricultural Aviation (Aircraft Mechanic) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay :—

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached the reto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc :—

The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spous living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that he Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Aircraft Mechanic in the Directorate of Agricultural Aviation (Department of Agriculture).

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Aircraft Mechanic	14	General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 175-6-205-7-240 EB-8-280, (Old scale).	Selection	30 years	Essential : (a) Matriculate or equivalent. (b) Three year's of aviation experience as a Mechanic in a recognised aviation organisation. Note :—(Apprenticeship period shall not be counted as experience). Desirable : (a) Matriculation with Science subjects. (b) AME's licence in category 'A' or 'C'.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age—No Educational Qualifications. Yes	Two years	(i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment.	Promotion : Aircraft/Helicopter Cleaners with 5 years' service in the grade.	Departmental Promotion Committee Class III	Not applicable.

[No. 2-43/72-PPS]
K. BALAKRISHNAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 890.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खंड (ख) के उपखंड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 जून, 1961 की अधिसूचना सं०एफ० 1-20/60-डी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उपर्युक्त अधिसूचना में ;

(1) "कीटनाशक" से संबन्धित मद संख्या 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टि हटा ली जाय ।

(2) मद संख्या 3 का क्रम पुनः बदलकर उसे क्रम संख्या 2 कर दिया जाय ।

[सं० एफ्म-11013/2/72—डी 5]
सती नायर, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 9th July, 1975

G.S.R. 890.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Health No. F. 1-20/60-D, dated the 3rd June, 1961, namely :—

In the said notification,

(i) item 2 relating to "Insecticides" and the entry relating thereto, shall be omitted; and

(ii) item 3 shall be re-numbered as item 2 thereof.

[No. X-11013/2/72-D]
MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 25 जून, 1975

सा० का० नि० 891.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सुधार सेवा ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग, सहायक निदेशक (भर्ती) नियम, 1968 के प्रतिस्थापन में, राष्ट्रपति, समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के सहायक निदेशक के पद के लिये भर्ती के तरीके नियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, समाज कल्याण विभाग (सहायक-निदेशक) भर्ती नियम, 1975 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : ऐसे पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा तथा योग्यताएं आदि : कथित पदों पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उन से संबंधित अन्य बातें कथित अनुसूची के कालम 5 से 13 के विशिष्ट विवरण के अनुसार होंगी ।

4 निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी स्त्री या पुरुष से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वकीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।—

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, श्रेणी II, राजपत्रित	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु०	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	अनिवार्य : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपराध विज्ञान या समाज कार्य अथवा समाज विज्ञान की मास्टर डिग्री या उसके बराबर अपराध विज्ञान, बाल अपराध तथा सुधार संबंधी प्रशासन में विशेषज्ञता । (2) जिम्मेदार प्रशासनिक या कार्यकारी क्षमता में सुधार संबंधी कल्याण में 5 वर्ष का अनुभव । (सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट) । वांछनीय : सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जायेगा ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, 50 प्रतिशत स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : (1) अन्वेषक या तकनीकी अधिकारी जिनकी ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा हो । (2) स्थानांतरण : समान या सदृश पदों के अधिकारी जिनकी अर्हताएं तथा अनुभव सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है । (3) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के योग्य श्रेणी II अधिकारी या राज्य सरकार के जेल या पुलिस या बोर्सल स्कूल या अनुमोदित स्कूलों या कारावास के अधीक्षक अथवा वरिष्ठ परिवीक्षा अधिकारी जिनकी अर्हताएं सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित हैं । (साधारणत. प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	श्रेणी II विभागीय पदोन्नति समिति ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श विनियम, 1958 से छूट) के अधीन अपेक्षित है ।

[संख्या एफ० 14/5/67-एस० डब्ल्यू० 5 (एस० डी०)]

टी० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 2 th June, 1975

G.S.R. 891.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Bureau of Correctional Services, Department of Social Welfare, Assistant Director (Recruitment) Rules, 1968, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director, National Institute of Social Defence in the Department of Social Welfare, namely:-

1. Short title and commencement:

(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence, Department of Social Welfare (Assistant Director) Recruitment Rules, 1975.

(ii) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Scale of Pay: The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. The method of recruitment, age limit and qualifications etc: The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications: No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: Nothing in these rules, shall effect reservations and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director	2	General Central Service, Class II, Gazetted.	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants)	Essential: (i) Master's degree in Criminology or Social Work or Sociology of a recognised University or equivalent preferably with specialisation in Criminology, Juvenile Delinquency and Correctional Administration. (ii) 5 years' experience in Correctional Welfare in a responsible administrative or Executive capacity. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable: Experience in conducting Social Surveys and Research.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years.	50% by promotion; 50% by transfer or transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Promotion: (i) Investigators or Technical Officer with 7 years' regular service in the grade. (ii) Transfer: Officers holding equivalent or analogous posts possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits. (iii) Transfer on deputation: Suitable Class II officers from Central Government or State Government of the status of Superintendent of Jail or Police Borstal School or Approved Schools or Detention Homes or Senior Probation Officers possessing the qualifications prescribed for direct recruits. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.)	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No F. 14/5/67-SWS(SD)]

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1974

सा० का० नि० 892.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय में अधीनस्थ लेखा-सेवा लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम भूमि और विकास कार्यालय, अधीनस्थ लेखा-सेवा लेखापाल भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अधीनस्थ लेखा-सेवा लेखापाल के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अधीनस्थ लेखा-सेवा लेखापाल	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	500-20-700-द० रो०-25-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	भारतीय सपरीक्षा और लेखा विभाग के अधीनस्थ लेखा-सेवा लेखापाल की पंक्ति के उपयुक्त व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण और ऐसा न हो सकने की दशा में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसकी पांच वर्षों की सेवा हो और जिसने अधीनस्थ लेखा-सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[संख्या ए०-12018/1/74-एल० 2]

एच० आर० निगम, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, 14th August, 1974

G.S.R 892.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of S.A.S. Accountant in the Land and Development Office under the Ministry of Works and Housing, namely:—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Land and Development Office S.A.S. Accountant Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts classification and scale of pay: The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications: No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided to candidates belonging to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of S.A.S. Accountant

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
S.A.S. Accountant	1	General Central Services, Class III, non-gazetted Ministerial	Rs.500-20-700-EB-25-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age & educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion/Deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation of a suitable person of the rank of S.A.S. Accountant from Indian Audit & accounts Department failing which a UDC with 5 years service and who has passed the S.A.S. examination. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years.	Not applicable	Not applicable

[No. A-12018/1/74-LII]

S. MAHADEVA AYYAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 1975

सा०का०नि० 893.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.—

1. (1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में क्रम संख्या 29 तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

भर्ती की पद्धति तथा निम्नलिखित द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

क्रम सं०	पद का नाम	पद का वर्गीकरण	वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	चयन द्वारा पदोन्नति	वरिष्ठता/योग्यता द्वारा पदोन्नति
1	2	3	4	5	6	7
30	कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित अनुसचिवीय) ।	330-10-380-ई०बी०-12-500-ई०बी०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति	केवल सीधी भर्ती के लिये		केवल पदोन्नति/स्थानान्तरण से भर्ती के लिए अर्हताएं आदि		
	आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति/स्थानान्तरण से भर्ती की स्थिति में लागू होगी या नहीं	जिन ग्रेडों सेवाओं से किया जाना है	पदोन्नति/स्थानान्तरण
8	9	10	11	12	
शतप्रतिशत प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	18 और 25 वर्ष के बीच ।	(i) हायर सैकेंड्री या इसके समतुल्य । (ii) अच्छा व्यक्तित्व साथ ही अंग्रेजी और हिन्दी में धारा-प्रवाह रूप से बातचीत करने की क्षमता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्डर के केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में उच्च श्रेणी लिपिक या निम्न श्रेणी लिपिक जिनकी उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा या निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा हो तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में उतनी ही सेवा सहित लिपिक श्रेणी-I/ लिपिक श्रेणी II (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	

[फाइल संख्या ए-12019/6/74-स्था०-1]

देसराज सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, 17th June, 1975

G.S.R. 893.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment Rules 1962, after Serial Number 29 and the entries relating thereto the following Serial Number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Sl. No	Name of post	Classification of the post	Scale of pay	Percentage of posts to be filled by		
				Direct recruitment	Promotion by Selection	Promotion by Seniority-cum-fitness
1	2	3	4	5	6	7
30	Junior Reception Officer.	General Central Service Class III (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not Applicable	Not Applicable	Not applicable

Transfer/Deputation	For Direct recruitment only		For Promotion/Transfers only	
	Age limit	Educational and other qualifications required	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of appointment by promotion transfer	Grade/Source from where promotion/transfer are to be made
8	9	10	11	12
100% by deputation/transfer failing which by direct recruitment.	Between 18 and 25 years.	(1) Higher Secondary or equivalent. (2) A good personality with ability to converse fluently in English and Hindi.	Not Applicable	Deputation or Transfer : Upper Division Clerks or Lower Division Clerks of the Ministry of Information and Broadcasting Cadre of Central Secretariat Clerical Service with 5 year's approved service in the Grade of Upper Division Clerk or 10 Year's approved service in the Grade of Lower Division Clerk and Clerk Grade I/or Clerk Grade II in the subordinate Offices of the Ministry of Information and Broadcasting with the same length of service (period of deputation ordinarily not exceeding three years).

[File No. A. 12019/6/74-Est. I]

DESH RAJ SINGH, Deputy Secy.

नई दिल्ली, 24 जून, 1975

सा०का०नि० 894.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 24 के सम्मुख, कालम, 12 के अन्तर्गत, वर्तमान प्रविष्टिया के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"पदोन्नति : वे प्रशासनिक अधिकारी (650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-द०रो०-40-960 रुपये) जिनकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा हो"।

[फाइल सख्या 1-12-73-बी० (ए)]

New Delhi, dated the 24th June, 1975

G.S.R. 894.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President

hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication the Official Gazette

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 against serial number 24, in column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Administratiive Officer (Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-EB-40-960) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis."

[File No. 1/12/73-B(A)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सा०का०नि० 895.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा तत्संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
"11.	निदेशक श्रोता अनुसंधान।	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1, राजपत्रित।	1300-60-1600-100-1800 रुपये (पूर्व संशोधित)।	लागू नहीं होता	15 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी)।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या मानव विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास। (2) निम्नलिखित में कम से कम किन्हीं दो में लगभग 5 वर्ष का अनुभव :— (क) जनमत सर्वेक्षण या पाठक सर्वेक्षण। (ख) श्रोता अनुसंधान। (ग) फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन जैसे दृश्य माध्यमों के प्रभाव का अध्ययन। (घ) मार्केट सर्वेक्षण और/या उपभोक्ता ग्राहयता सर्वेक्षण। (अन्यथा उपयुक्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा)।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारतीय अर्थ-शास्त्र सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारी, इसके न हो सकने पर भारतीय अर्थशास्त्र सेवा या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-2 के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[फा० सं० 1/1/71-बी(ए०)]

एम०एल० टंडन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1975

G.S.R. 895.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the All India Radio (Class I Posts), Recruitment Rules, 1963, namely:

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"11.	Director, Audience Research	1	General Central Service, Class I, Gazetted	Rs. 1300-50-1600-100-1800 (pre-revised)	Not applicable	Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants)	Essential : (i) Master's degree in Sociology or Psychology or Anthropology or Economics or Statistics of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience in at least 2 of the following: (a) Public Opinion Survey or Readership Survey. (b) Listeners Research. (c) Impact Studies of visual media like Film, Television, Advertising. (d) Market Survey and/or Consumer Acceptability Survey. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment, failing which by transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers belonging to Grade I of the Indian Economic Service, Indian Statistical Service, failing which officers belonging to Grade II of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service with at least 3 year's service in the grade. (Period of deputation: ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[File No. 1/1/71-B (A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 896:—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

47 GI/75—4.

1. इन नियमों को भारतीय डाकघर (चौथा) संशोधन नियम, 1975 कहा जायगा।

2 डाकघर नियम, 1933 के नियम 61 में उप नियम (3) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"(3) यदि पोस्टमास्टर जनरल इस बात से संतुष्ट है कि रात्रि डाकघर या चलते-फिरते डाकघर में अधिक काम को निपटाने तथा उसमें सभी व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं के साम्यिक उपलब्धता के सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है,

तो वे ऐसे डाकघर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गई सूचना के जरिये सूचना में निर्दिष्ट समय मे ऐसे डाकघर में एक समय किसी भी व्यक्ति द्वारा बुकिंग के लिए दी जाने वाली पंजीबद्ध डाक वस्तुओं की संख्या सीमित कर सकते है।"

[51/3/74-सी० आई०]

कैलाश प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 5th July, 1975

G.S.R. 896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. These rules may be called the Indian Post Office (Fourth Amendment) Rules, 1975.

2. In the Post Office Rules, 1933, in rule 61, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) If the Postmaster General is satisfied that it is necessary or expedient so to do to meet the rush of work in a Night Post Office or a Mobile Post Office and to ensure the equitable availability of facilities provided therein to all persons, he may, by notice displayed on the notice board of such Post Office, restrict the number of registered articles that may be tendered for booking by any person at one time at such Post Office during such hours as may be specified in the notice.".

[No. 51/3/74-CI]

KAILASH PRAKASH, Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 897.—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमो का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उन सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जायगा;

ऐसे किन्ही भी आक्षेपों या सुझावो पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि को या उससे पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

नियमो का प्रारूप

1. इन नियमो का नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 मे, नियम 10ख में, उपनियम (6) के पश्चात, अन्त में निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(7) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 8 के नियम 14 के उपबन्ध पक्षकारो द्वारा नियम 10ख के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष फाइल किए गए कथनों को वैसे ही लागू होंगे, मानों उक्त कथन उक्त संहिता के अधीन वादपत्र हो।"

[सं० एस०-65012/2/75-डी०के०(आई ए)]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 8th July, 1975

G.S.R. 897.—The following draft of certain rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken up for consideration after a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft on or before the period so specified, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 1975.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 in rule 10B, after sub-rule (6) the following sub-rule shall be inserted at the end, namely.—

"(7) The provisions of rule 14 of Order VII of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply to statements filed under rule 10B by parties to an industrial dispute before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal as if such statements were plaints under the said Code."

[No. S-65012/2/75-DK(IA)]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975